



2026:AH:61231

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3473/2026

मुस्तकीम

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

मुकेश जोशी

विपक्षी के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश जोशी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए0जी0ए0 श्री शिव दत्ता शुक्ला की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक मुस्तकीम की ओर से दायर की गई है, जिसमें सत्र परीक्षण संख्या 470/2013 में, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत, पुलिस स्टेशन कोतवाली देहात, जिला एटा में दर्ज मामले में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक जमानत पर था, लेकिन उसकी गैर-मौजूदगी के कारण, उसके खिलाफ 17.2.2024 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। आवेदक 27.10.2025 से जेल में बंद है और वह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक का 17 मामलों का आपराधिक इतिहास है। आवेदक जमानत पर था, लेकिन उसकी गैर-हाजिरी के कारण 17.2.2024 को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। आवेदक 27.10.2025 से जेल में बंद है और वह वचन देता है कि यदि उसे आजादी दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. आवेदक जमानत पर था, लेकिन उसकी गैरमौजूदगी के कारण, उसके खिलाफ 17.2.2024 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। आवेदक 27.10.2025 से जेल में बंद है और वह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं। अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ता **मुसतकीम** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, आरोप निर्धारण और बी0एन0एस0एस0 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। 02 के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"